

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेड़ा तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद में अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर  
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 23/2018 राजस्व वाद

उनवान

1. श्रीमति धापु देवी पत्नि मिटुलाल कहार भोई उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

— (वादीया)

बनाम

1. कयुम मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद सिलावट मुसलमान उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. न्याज मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद सिलावट मुसलमान उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. नयूम मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद सिलावट मुसलमान उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. हकीम मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद सिलावट मुसलमान उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. वहीदन पुत्री शफी मोहम्मद सिलावट मुसलमान उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. शहनाज पुत्री शफी मोहम्मद सिलावट मुसलमान उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. जुबैदा पुत्री शफी मोहम्मद सिलावट मुसलमान उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. अमित कुमार पिता कैलाश चन्द्र झंवर उम्र वयस्क माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. श्रीमति सलमा पत्नि अयुब खां कायमखानी उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
10. जमीला बानु पत्नि नूर मोहम्मद कायमखानी उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. उपपंजीयक अधिकारी, उपपंजीयक कार्यालय बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

—(प्रतिवादी गण)


वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री अरुण चन्द्र देराश्री .....(अधिवक्ता वादीया)
2. विपक्षी कम 01, 02 वक्त शिविर उपस्थित
3. पैरोकार सरकार.....विपक्षी कम-11

दिनांक- 06.06.2018

राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम बनेड़ा में वादी अधिवक्ता व विपक्षी कम 01, 02 एवं राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेड़ा शिविर के दौरान उपस्थित। आज दिनांक 06.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं। वादीया का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण से अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम बनेड़ा प0ह0 बनेड़ा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बनेड़ा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या

  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

1260 की आ0न0 5227, 5228, 5229 कुल किता 03 कुल रकबा 02-07 बीघा मे वादीया को 1/3 हिस्से व कब्जे अनुसार का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये उत्तर दिशा में 20 फिट रास्ता छोडते हुए, विवादित आराजीयात का शिविर मे तैयार कराया जाकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है-

- 1 अमित कुमार पिता कैलाश चन्द्र झंवर सा.माण्डल खातेदार (विपक्षी क्रम 08)

आ0न0	रकबा	लगान
5228	00-05	10.45
5229	00-15	
कुल 02	रकबा 01-00 बीघा	10.45

- 2 धापूदेवी पत्नि मीठूलाल कहार भोई सा. देह खातेदार (वादीया)


आ0न0	रकबा	लगान
5227	00-06	6.68
5228	00-01	
5229/2	00-12	
कुल 03	रकबा 00-19 बीघा	6.68

- 3 कय्यूम मोहम्मद न्याज मोहम्मद न्यूम मोहम्मद हकीम मोहम्मद वहीदन शहनाज जुबैदा पिता शफी मोहम्मद सलावट सा. देह खातेदार (विपक्षी क्रम 01 लगायत 07)

आ0न0	रकबा	लगान
5229/3	00-06	चा प्रथम/3.21
कुल 01	रकबा 00-06 बीघा	चा प्रथम/3.21

- 4 अमित कुमार पिता कैलाश चन्द्र झंवर सा.माण्डल, धापूदेवी पत्नि मीठूलाल कहार भोई, कय्यूम मोहम्मद न्याज मोहम्मद न्यूम मोहम्मद हकीम मोहम्मद वहीदन शहनाज जुबैदा पिता शफी मोहम्मद सलावट सा. देह खातेदार (उभयपक्ष)

आ0न0	रकबा	लगान
5229/1	00-02	चा प्रथम/1.07
कुल 01	रकबा 00-02 बीघा	चा प्रथम/1.07

  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

उपरोक्तानुसार भूमि में वादीया व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 10 के मध्य क्रम संख्या 01 से 04 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है क वादीया के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 कैम्प मुकाम बनेडा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रेषित हो।

उपखण्ड अधिकारी,  
बनेडा जिला भीलवाड़ा  
बनेडा (भीलवाड़ा)